राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1373/2024

नाहर सिंह यादव (कर्मचारी आई.डी.:–आरजेएएल201302035611)

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, कोटकासिम, जिला खेरथल तिजारा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 27.03.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में कनिष्ठ सहायक के पद पर पंचायत समिति, कोटकासिम जिला खेरथल तिजारा में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा वर्तमान पदस्थापित स्थान से पंचायत समिति तिजारा में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का जहां स्थानान्तरण किया गया है वह पंचायत समिति तिजारा है, जो नवगठित जिले खेरथल तिजारा में है। खेरथल तिजारा के सम्बन्ध में जिला परिषद अलवर को आदेश पारित करने का अधिकार नहीं था। ऐसे में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अलवर द्वारा बिना अधिकार के स्थानान्तरण आदेश पारित किया गया है।
3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. प्रकरण के तथ्यों से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायत समिति कोटकासिम से पंचायत समिति तिजारा किया गया है, जो पूर्व में दोनों ही पंचायत समितियां अलवर जिले में थी। जिला पुर्नगठन के पश्चात तिजारा और कोटकासिम दोनों ही पंचायत समिति नवगठित जिले खेरथल–तिजारा में शामिल हो गई है, परन्तु नया जिला गठित होने तक पूर्व की जिला परिषद ही काम कर रही हैं। ऐसे

में जिला परिषद, अलवर द्वारा स्थानान्तरण आदेश पारित किये जाने में कोई त्रुटि नहीं है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)